27/1/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप- वार वरिया स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2024/718

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.– 356/2024 GCMS:-2024/718 दायरा दिनाकः– 18.11.2024

1. सलोचना पत्नी श्री लालचन्द सोनी जाति सुनार निवासी ठुकराना तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

–– वादीया

बनाम

1. मामराज पुत्र जोधाराम (जोधा) जाति सुनार निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. पुष्पा देवी पत्नी ताराचन्द सोनी जाति सुनार निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

–– प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधि. 1955

उपस्थित :– **1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – वादी**
2. श्री योगेश कुमार अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 1 व 2
3. पेराकार राजस्व नायब तहसीलदार सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 27.01.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी न 1 के नाम से रोही ठूकराना के खसरा न 192/1 (हाल मिन न 614/192) मे 3.289 हैक व खसरा न 192/2 (हाल मिन न 613/192) मे 6.325 हैक इस प्रकार कुल 9.614 हैक बारानी रकबा इन्तकाल न 986 दिनांक 22.01.2009 से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर प्रतिवादी न 1 के कब्जा काश्त मे चला आ रहा था जो जमाबन्दी सॅवत 2065 ता 2068 के खाता न 426 की प्रमाणीत प्रति से साबित है। इस रकबा मे से प्रतिवादी न 1 ने अपने नाम के जैर प्रकरण रोही ठूकराना के खसरा न 192/1 (हाल मिन न 614/192) मे 3.289 हैक व खसरा न 192/2 (हाल मिन न 613/192) मे 6.325 हैक इस प्रकार कुल 9.614 हैक बारानी रकबा मे से निम्न रकबा अलग–अलग दिनांक को बेचान कर कब्जा खरीददारान को सौप दिया था :–

(i) **मामराज बहक सलोचना बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2009004605 दिनांक 20.11.2009** विक्रेता मामराज के रोही ठुकराना के खसरा न 192/1 हाल 614/192 के 3.289 हैक बारानी रकबा में से 1.075 हैक रकबा बेचान कर कब्जा सौप दिया जिसका इन्तकाल न 1094 स्वीकृति दिनांक 14.12.2009 से वादीया के जमाबन्दी सॅवत 2065 ता 2068 के खाता न 426/833 मे खरीदशुदा खाते रकबा का अंकन हो गया था, परन्तु इसके बाद की जमाबन्दी मे दर्ज नही किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

(ii) **मामराज बहक सरोजदेवी पत्नी रामेश्वर बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2009004604 दिनांक 20.11.2009** विक्रेता मामराज के रोही ठुकराना के खसरा न 192/1 हाल 614/192 के 3.289 हैक बारानी रकबा में से 1.075 हैक रकबा बैचान कर कब्जा सौप दिया जिसका इन्तकाल न 1094

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज... 2 पर

स्वीकृति दिनांक 14.12.2009 से सरोजदेवी के नाम जमाबन्दी सॅवत 2065 ता 2068 के खाता न 426/833 मे खरीदशुदा खातेदारी रकबा का अंकन हो गया था,

iii **मामराज बहक सरोजदेवी पत्नी सन्तराम बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2009004607 दिनांक 20.11.2009** विक्रेता मामराज के रोही ढुकराना के खसरा न 192/2 हाल 613/192 के 6.325 हैक बारानी रकबा में से 2.277 हैक जिसका इन्तकाल न 1094 स्वीकृति दिनांक 14.12.2009 से सरोजदेवी के नाम जमाबन्दी सॅवत 2065 ता 2068 के खाता न 426/833 मे खरीदशुदा खातेदारी रकबा का अंकन हो गया था, वर्तमान जमाबन्दी मे दोनो खसरो मे रकबा दर्ज है।

iv **मामराज बहक पुष्पादेवी पत्नी ताराचन्द बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2009004603. दिनांक 20.11.2009** विक्रेता मामराज के रोही ढुकराना के खसरा न 192/2 हाल 613/192 के 6.325 हैक बारानी रकबा में से 2.024 हैक बारानी जिसका इन्तकाल न 1108 स्वीकृति दिनांक 26.03.2010 से पुष्पादेवी के नाम जमाबन्दी सॅवत 2065 ता 2068 के खाता न 426/833 मे खरीदशुदा खातेदारी रकबा का अंकन हो गया था।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

v **मामराज बहक लिछमा देवी पत्नी हरीराम सुनार साकिन ढुकराना पंजीयन कम संख्या 2015004268 . दिनांक 31.08.2015** विक्रेता मामराज ने रोही ढुकराना के खसरा न 192/1 हाल खसरा न 614/192 मे केवल 1.139 हैक बारानी व खसरा न 192/2 हाल 613/192 के 6.325 हैक बारानी रकबा में से अपने हिस्सा के 3.163 हैक बारानी रकबा मे से 0.253 हैक रकबा को बैचान कर कब्जा लिछमा को सौप दिया था जिसका इन्तकाल न 1680 स्वीकृति दिनांक 02.10.2015 से लिछमा के नाम जमाबन्दी सॅवत 2069 ता 2072 के खाता न 340/426 मे खरीदशुदा खातेदारी रकबा का अंकन हो गया था। इस बैचान के पश्चात विक्रेता मामराज के नाम खसरा न 192/1 हाल खसरा न 614/192 मे केवल व खसरा न 192/2 मे दोनो खसरो मे केवल 2.910 हैक रकबा शेष रहा था।

vi **मामराज बहक पुष्पादेवी पत्नी ताराचन्द सुनार साकिन ढुकराना बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2015004268 . दिनांक 31.08.2015** विक्रेता मामराज ने रोही ढुकराना के खसरा न 192/1 हाल खसरा न 614/192 मे केवल 1.139 हैक बारानी रकबा व खसरा न 192/2 हाल 613/192 के 6.325 हैक बारानी रकबा मे से अपने हिस्सा के 2.910 हैक बारानी रकबा मे से 1.012 हैक रकबा को बैचान कर कब्जा पुष्पादेवी को सौप दिया था इस बैयनामा मे अन्य खसरा न 191 के 2.150 हैक रकबा भी बेचान हुआ है, जिसका इन्तकाल न 1681 स्वीकृति दिनांक 02.10.2015 से पुष्पादेवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज... 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के नाम जमाबन्दी सॅवत 2069 ता 2062 के खाता न 340 / 426 मे खरीदशुदा खातेदारी रकबा का अंकन हो गया था, वर्तमान जमाबन्दी मे दोनो खसरो मे रकबा दर्ज है। इस बैचान के पश्चात विक्रेता मामराज के नाम दोनो खसरो मे केवल 1.898 हैक बारानी रकबा शेष रहा था इसलिये राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी न 1 के नाम इतना ही रकबा खातेदारी दर्ज रहना चाहिऐ ।

वादीया ने दावा मे निवेदन किया कि राजस्व कर्मियो ने इन्तकाल न 1094, 1108, 1680, 1681 के दर्ज करने के पश्चात विक्रेता मामराज का जितना रकबा बचा उसका सही उल्लेख नही किया जिसकी वजह है राजस्व रिकार्ड मे प्रविष्टी गलत हो गयी व वादीया का नाम जमाबन्दी सॅवत 2065 ता 68 के पश्चात की जमाबन्दीयो मे दर्ज नही किया जिससे राजस्व जमाबन्दीयो मे विक्रेता मामराज के नाम रकबा गलत दर्ज हो गया तथा प्रतिवादी न 1 के द्वारा रकबा का बेचान के इन्तकाल न 1108 के पश्चात विक्रेता मामराज के नाम खसरा न 192 / 1 हाल खसरा न 614 / 192 मे केवल 1.139 हैक बारानी व खसरा न 192 / 2 मे 2.024 दोनो खसरो मे केवल 3.163 हैक रकबा शेष रहा था, परन्तु राजस्व रिकार्ड मे पटवारी हल्का ने इस जमाबन्दी मे विक्रेता मामराज के नाम 4.238 हैक रकबा शेष रखा जबकि उसके नाम दोनो खसरो मे 3.163 हैक रकबा बचता था व इन्तकाल न 1681 के पश्चात विक्रेता मामराज के नाम दोनो खसरो मे केवल 1.898 हैक बारानी रकबा बचता था परन्तु राजस्व कार्मियो ने मामराज के नाम 3.226 हैक रकबा दर्ज कर रखा है जो काबिल दुरूस्ती के है व इस चालु जमाबन्दी के खाते मे मामराज के नाम 1.898 हैक बारानी रकबा ही दर्ज रखने योग्य है व वादीया सलोचना के नाम खसरा न 192 / 1 मे 1.075 हैक बारानी खातेदारी दर्ज करने योग्य है तथा जब प्रतिवादीया न 2 के प्रतिवादी न 1 **मामराज से बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2015004269 दिनांक 31.08.2015** जिससे विक्रेता मामराज ने रोही ढुकराना के खसरा न 192 / 1 हाल खसरा न 614 / 192 मे केवल 1.139 हैक बारानी रकबा व खसरा न 192 / 2 हाल 613 / 192 के 6.325 हैक बारानी रकबा में से अपने हिस्सा के 2.910 हैक बारानी रकबा मे से 1.012 हैक रकबा को बैचान कर कब्जा पुष्पादेवी को सौप दिया था इस बैयनामा मे अन्य खसरा न 191 के 2.150 हैक रकबा भी बेचान हुआ है, जिसका इन्तकाल न 1681 स्वीकृति दिनांक 02.10.2015 से पुष्पादेवी के नाम जमाबन्दी सॅवत 2069 ता 2062 के खाता न 340 / 426 मे खरीदशुदा खातेदारी रकबा का अंकन हो गया [illegible] पटवारी हल्का से मिलकर बैयनामा **मामराज बहक पुष्पादेवी बैयन[illegible] कम संख्या 2015004269 दिनांक 31.08.2015** जिस[illegible] न 192 / 1 हाल खसरा न 614 / 192 मे 3.289 हैक [illegible] न 192 / 2 हाल 613 / 192 के 6.325 हैक बारानी रकबा में से अपने हिस्सा [illegible] 4.238 हैक (सही हिस्सा 2.910 हैक बारानी) रकबा मे से 1.012 हैक रकबा के बैचान का पूनः इन्तकाल न 1744 दिनांक 28.06.2016 को करवा कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज... 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस बैयनामा के अधार पर पूनः रकबा दर्ज करवा लिया जो कतई गलत व गैर कानूनी है, यह इन्तकाल शूरू से शुन्य है इसलिये राजस्व रिकार्ड चालु जमाबन्दी से यह इन्तकाल न 1744 कलमजन किया जावे।

वादीया ने दावा पेश कर जैर प्रकरण प्रतिवादी न 1 द्वारा निष्पादित बैयनामा **मामराज बहक सलोचना बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2009004605 दिनांक 20.11.2009** जिससे विक्रेता मामराज ने अपने नाम के रोही ठुकराना के खसरा न 192/1 हाल 614/192 के 3.289 हैक बारानी रकबा में से 1.075 हैक रकबा का बेचान कर कब्जा वादीया को सौप दिया था, इस 1.075 हैक रकबा की वादीया खातेदार काश्तकार घोषीत कर रोही ठुकराना की चालु जमाबन्दी सॅवत 2069 ता 2072 के खाता न 340/426 के 9.614 हैक रकबा मे वादीया के नाम खसरा न 614/192 का 1.075 हैक खातेदारी रकबा दर्ज करवाने का व प्रतिवादी न 1 ने वाद की मद संख्या 3 मे दर्ज बैयनामो से रकबा से बेचान कर दिया है इसलिये प्रतिवादी न 1 केवल 1.898 हैक रकबा ही खातेदारी शेष रहा है इसलिये प्रतिवादी न 1 के नाम रोही ठुकराना की चालु जमाबन्दी सॅवत 2069 ता 2072 के खाता न 340/426 के 9.614 हैक रकबा मे 1.898 हैक बारानी रकबा खातेदारी दर्ज किया जाने व प्रतिवादीया न 2 के नाम प्रतिवादी न 1 द्वारा निष्पादित बैयनामा **मामराज बहक पुष्पादेवी बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2015004269 दिनांक 31.08.2015 जिससे रोही ठुकराना के** खसरा न 192/1 हाल खसरा न 614/192 मे 3.289 हैक बारानी रकबा व खसरा न 192/2 हाल 613/192 के 6.325 हैक बारानी रकबा में से 1.012 हैक रकबा बेचान कर कब्जा सौपा था, इस बैयनामा के आधार पर इन्तकाल न 1681 स्वीकृति दिनांक 02.10.2015 को इस खाते मे 1.012 हैक रकबा दर्ज हो गया था इसलिये अब इसी बैयनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल न 1744 दिनांक 28.06.2016 शुरू से शुन्य होने से इस इन्तकाल की प्रविष्टी कलमजन कर प्रतिवादी न 2 के नाम इस खाते मे कुल 3.036 हैक खातेदारी रकबा दर्ज रखा जाने का निवेदन किया व प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थायी कि डिक्री जारी कि जावे कि जैर प्रकरण वादीया के 1.075 हैक बारानी खातेदारी रकबा मे प्रतिवादीगण किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वय करे व ना ही किसी अन्य से करवावे का अनूतोष चाहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, दौरान दावा वादीया एव प्रतिवादीगण इस न्यायायल मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वादीया का वाद वादीया को उसके रकबा के खातेदार काश्तकार घोषीत करने व प्रतिवादीगण के नाम वादनुसार रकबा दर्ज करने का निवेदन किया । राजीनामा प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया व चुकि वादीया ने प्रतिवादी न 1 **मामराज बहक सलोचना बैयनामा पंजीयन कम संख्या 2009004605 दिनांक 20.11.2009** विक्रेता मामराज [illegible] ठुकराना के खसरा न 192/1 हाल 614/192 के 3.289 हैक बारानी रकबा मे से 1.075 हैक रकबा बेचान कर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसका इन्तकाल न [illegible]94 स्वीकृति दिनांक 14.12.2009 से वादीया के नाम जमाबन्दी सॅवत 2065 ता 2068 के खाता न 426/833 मे खरीदशुदा खातेदारी रकबा का अंकन हो गया था, परन्तु इसके बाद की जमाबन्दी मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज... 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दर्ज नही किया इसलिये इस बैयनामा के आधार पर वादीया को इस रकबा का खातेदार काश्तकार घोषीत करने व प्रतिवादीया न 2 ने इस खाता मे से केवल 12.00बीघा ही रकबा पंजीकृत बैयनामा से रकबा खरीद किया है इसलिये इस खाता मे वो केवल 3.036 हैक रकबा की ही खातेदारी बचता है इसलिये इस खाता मे प्रतिवादीया के नाम इससे ज्यादा कलमजन योग्य है व मामराज ,द्वारा अपना हिस्सा मे से विभिन्न तारीखो मे रकबा बेचान के प्श्चात इस खाते के रकबा मे केवल 1.898 हैक बारानी रकबा शेष रहा था इसलिये राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी न 1 के नाम 1898 हैक रकबा दर्ज रहने योग्य है व इन्तकाल न 1744 दिनांक 28.06.2016 शुरू से शुन्य होने से इस इन्तकाल की प्रविष्टी कलमजन किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वाद वादीया स्वीकार कर वादीया को मामराज बहक सलोचना बैयनामा पंजीयन क्रम संख्या 2009004605 दिनांक 20.11.2009 विक्रेता मामराज के रोही ठुकराना के खसरा न 192 / 1 हाल 614 / 192 के 3.289 हैक बारानी रकबा में से 1.075 हैक रकबा की खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाता है तथा रोही ठुकराना की चालु जमाबन्दी सॅवत 2069 ता 2072 के खाता न 340 / 426 के 9.614 हैक रकबा मे वादीया के नाम खसरा न 614 / 192 का 1.075 हैक रकबा खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है व इस खाते के 9.614 हैक बारानी रकबा मे प्रतिवादी न 1 के नाम पूर्व मे दर्ज रकबा के स्थान पर इस खाते मे केंवल 1.898 हैक खातेदारी व प्रतिवादीया न 2 के नाम इस खाते मे पूर्व मे रकबा के स्थान पर 3.036 हैक खातेदारी रकबा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा इस खाता मे इन्तकाल न 1744 स्वीकृति दिनांक 28.06.2016 के आधार पर दर्ज पृविष्टि निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस खाते के शेष सह हिस्सेदारान सरोजदेवी व लिछमादेवी के नाम अंकन यथावत रहेगा । तहसीलदार सूरतगढ आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इसीनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओ0 21 रूल 6 – 7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. सलोचना पत्नी श्री लालचन्द सोनी जाति सुनार निवासी ठुकराना तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

—— वादीया

बनाम

2. मामराज पिसरमुत्वना जोधाराम (जोधा) जाति सुनार निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. पुष्पा देवी पत्नी ताराचन्द सोनी जाति सुनार निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 88,188,209 आर टी एक्ट मुकदमा न. 356 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादी स्वय हाजिर व राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ तथा वकील प्रतिवादीगण अभिभाषक के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादीया स्वीकार कर वादीया को मामराज बहक सलोचना बैयनामा पंजीयन क्रम संख्या 2009004605 दिनांक 20.11.2009 विक्रेता मामराज के रोही ठुकराना के खसरा न 192/1 हाल 614/192 के 3.289 हैक बारानी रकबा में से 1.075 हैक रकबा की खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाता है तथा रोही ठुकराना की चालु जमाबन्दी सॅवत 2069 ता 2072 के खाता न 340/426 के 9.614 हैक रकबा मे वादीया के नाम खसरा न 614/192 का 1.075 हैक रकबा खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है व इस खाते के 9.614 हैक बारानी रकबा मे प्रतिवादी न 1 के नाम पूर्व मे दर्ज रकबा के स्थान पर इस खाते मे केंवल 1.898 हैक खातेदारी व प्रतिवादीया न 2 के नाम इस खाते मे पूर्व मे रकबा के स्थान पर 3.036 हैक खातेदारी रकबा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा इस खाता मे इन्तकाल न 1744 स्वीकृति दिनांक 28.06.2016 के आधार पर दर्ज पृविष्टि निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस खाते के शेष सह हिस्सेदारान सरोजदेवी व लिछमादेवी के नाम अंकन यथावत रहेगा । तहसीलदार सूरतगढ आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

। नोज ....X.......... मुबलिग .... X .... बाबत .... X .... खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह .... X .... फ... ...ालना .... X .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे। ... मेरे हस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27.01.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ